न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 87/2016 (उदयपुर डिकी)

1. अमर सिंह पिता वदन सिंह जी मौजावत, जाति राजपूत, निवासी कुण्डाल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. भैरू सिंह पिता नवल सिंह जी मौजावत, जाति राजपूत, निवासी कुण्डाल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. प्रेम सिंह पिता भूर सिंह जी राजपूत, निवासी कुण्डाल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. नवल सिंह पिता गंगा सिंह जाति राजपूत, निवासी कुण्डाल, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान

का. अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिकी

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा

दिनांक 15.06.2016, प्र. सं. 159/15

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री मनीष शर्मा अभिभाशक अपीलान्टगण

2. श्री पुरूषोत्तम पुरी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———:::———

निर्णय दिनांक

30–04–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कुण्डाल में वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी नंबर 329 रकबा 2 बिस्वा भूमि स्थित है, जिस पर वादीगण के मकान बने हुए है। उक्त आराजी में से

1/2 हिस्सा वादी संख्या 1 ने कय कर मकान बनाया है, जबकि वादी संख्या 2 का शुरू से मकान बना हुआ है, किन्तु प्रतिवादीगण उक्त मकान को हड़पना चाहते हैं। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित भूमि कृषि नहीं होकर मौके पर मकान बने हुए है। अतः इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने से वाद मात्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

उक्त आवेदन के खण्डन का जवाब वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है।

अधिनस्थ न्यायालय उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 15–06–2016 वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से वकील श्री पुरूषोत्तम पुरी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना दस्तावेजों का अवलोकन किये अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में एकतरफा वाद डिकी किया है, जो त्रुटि पूर्ण है। अतः अपील स्वीकर की जाकर कथित निर्णय व डिकी अपास्त की जावे अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर देकर निर्णय किये जाने हेतु पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को लौटाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिकी को सही बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावलो व रेकार्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार होकर सहमति से बंटवाड़ा कर रखा है, तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्डेड खातेदार के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिवादीगण को वादीगण की खातेदारी भ्मि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने हेतु पाबन्द किया है, जो उपलब्ध राजस्व रेकार्ड अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–06–2016 अपास्त की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–04–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

अमरसिंह पिता वदनसिंह जी मौजावत बनाम पमसिंह पिता भूरसिंह जी राजपूत
निवासी कुण्डाल, तहसील बड़गांव, निवासी कुण्डाल तहसील बड़गांव
जिला उदयपुर व अन्य जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.....87/2016.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....सहायक कलक्टर ....(फास्टट्रेक) गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह. .....07.....2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....30....माह.....04.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान
व हाजरी.....श्री मनीष शर्मा.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....श्री पुरूषोत्तम पुरी

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 15–06–2016 अपास्त की जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....30.....माह.....04..... 2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।